


ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

ग्वालियर जिला के लिए साँची घी विक्रय  
हेतु सुपर स्टॉकिस्ट आवेदन प्रपत्र  
वर्ष 2020–21 हेतु  
द्वितीय आमंत्रण



ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर  
गोला का मन्दिर, ग्वालियर—474005  
दूरभाष — 0751—2365523, 2368107

मोनो

## ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

गोला का मन्दिर, ग्वालियर-474005

दूरभाष – 0751-2365523, 2368107

### ग्वालियर जिला में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन सूचना

ग्वालियर जिला में साँची घी के सुव्यवस्थित वितरण एवं विक्रय के लिए तीन वर्षों हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता फर्म/प्रतिष्ठान रूपये 500=00 (पांच सौ मात्र) दिनांक 01-12-2020 से किसी भी दिवस में वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> से डाउनलोड कर आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500/- का डी.डी. ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के नाम बनवाकर संलग्न करे। इच्छुक आवेदक रूपये 500/- के नगद/ऑनलाइन भुगतान जमा कर उपरोक्त स्थान से भी कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र क्रय कर सकते हैं।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 17-12-2020 को अपराह्न 01:00 बजे तक ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मन्दिर, ग्वालियर कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ई.एम.डी. राषि रूपये 50,000=00 का बैंक ड्राफ्ट जो “ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित” के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना ई.एम.डी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन दिनांक 17-12-2020 को ही अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित आवेदनकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जाएंगे। किसी भी अथवा समस्त आवेदन पत्रों को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा एवं किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु न्यायिक क्षेत्र ग्वालियर ही रहेगा।

शेष विस्तृत जानकारी वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

## **ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित** **आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी**

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 01-12-2020 प्रातः 11:00 बजे
2	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	17-12-2020 दोपहर 12:00 बजे तक
3	आवेदन जमा करने की तिथि एवं समय	17-12-2020 दोपहर 01:00 बजे तक
4	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	17-12-2020 दोपहर 03:00 बजे तक
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	50,000=00 (पचास हजार मात्र) “ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर” के नाम से देय हो।
6	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रुपये 500/- (पांच सौ मात्र)
7	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मन्दिर, ग्वालियर
8	सुपर स्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तों का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
9	सुपर स्टॉकिस्ट चयन हेतु अंक तालिका	प्रपत्र – 03
10	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र – 04
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 05
12	दर संरचना	प्रपत्र – 06

### आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :—

- प्रपत्र क्रमांक 01 “तकनीकी अर्हताएं” प्रपत्र क्रमांक 02 “सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 4 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 5 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक “बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ग्वालियर जिला हेतु ‘सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन’ लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों की अतिरिक्त आवेदक की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र – 01, 02, 03 एवं 04 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
- आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 07 पर सॉची घी की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूंजी निवेष का पूर्ण विष्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।


(तकनीकी अर्हताएं)  
प्रपत्र 01

### तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता का नाम व पता (संस्था / फर्म आदि की दषा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता ।		पंजीकृत पार्टनरिप डीड ।
3	आवेदनकर्ता संस्था / फर्म होने की दषा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था / फर्म के संचालक मंडल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति ।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर ।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें ।
5	GST नम्बर अथवा नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में आवेदक को GST नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं ।		GST नम्बर / आवेदन की छायाप्रति संलग्न
6	साँची धी वितरण हेतु उपलब्ध वाहन का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें ।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें ।
8	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2017–18 एवं 2018–19, 2019–20) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण ।		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी । (छायाप्रति संलग्न करें)
9	FSSAI लायसेन्स विवरण ।		FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें ।
10	दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।		छायाप्रति संलग्न करें ।
11	निर्धारित टर्नओवर रूपये 10 करोड़ गत तीन वर्षों में ।		तीन वर्षों की बेलेंसशीट सीए द्वारा सत्यापित प्रति । संलग्न करें ।
12	ई.एम.डी.		मूल डी.डी. संलग्न करें ।
13	आवेदन पत्र के मूल्य का डी.डी. (यदि आवेदन वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तों)		मूल डी.डी. संलग्न करें ।

नोट:-

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित करना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची धी सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी को निरस्त कर ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राष्ट्र राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायिक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर .....  


नाम-----

पता-----

दूरभाष नम्बर -----  
मोबाइल नम्बर -----

सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट आवेदन हेतु  
आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। आवेदक का घी विक्रय का वर्तमान कार्यक्षेत्र ग्वालियर जिला होना अनिवार्य है। ग्वालियर जिले के बाहर कार्यरत आवेदकों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएँगे।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 50,000/- (अक्षरी रु. पचास हजार मात्र) का डी.डी. आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति राष्टि रूपये 3 लाख (जिसमें 1.5 लाख की बैंक ग्यारंटी एवं 1.5 लाख डी.डी. द्वारा नगद) जमा करना होगी, नगद जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. सुपर स्टॉकिस्ट के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों में कुल 10 करोड़ का टर्न ओवर होना आवश्यक होगा। टर्न ओवर को सत्यापित करने हेतु चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी बेलेंसषीट संलग्न करना होगी।
5. सुपर स्टॉकिस्ट को सॉची घी के व्यवस्थित भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था करना साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम दो वाहन की व्यवस्था भी करनी होगी। इस सबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।
6. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार घी का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।
7. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले घी की अग्रिम राष्टि का भुगतान दुग्ध संघ को एक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जाएगी। शासकीय अवकाष की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिन पूर्व के कार्य दिवस को समस्त धनराष्टि अग्रिम दुग्ध संघ में प्राप्त हो जाएगी। अतः ऐसे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें, जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो।
8. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले घी की राष्टि का भुगतान दुग्ध संघ को निर्धारित समय में प्राप्त हो सके, इस हेतु राष्टि की व्यवस्था सुपर स्टॉकिस्ट को अपने खाते में सुनिष्पित करना होगी।

9. सुपर स्टॉकिस्ट को सॉची धी प्राप्त करते समय उसकी जॉच परख हर दृष्टि से सुनिष्ठित कर लेना होगी। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा गुणवत्ता की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की रहेगी।
10. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पेपर पर पंजीकृत अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टॉकिस्ट को तीन वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यावसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोषजनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
11. सुपर स्टॉकिस्ट को वितरकों से मांग प्राप्त होने के दो दिवस में धी प्रदाय करना होगा अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को सीधे धी प्रदाय किया जावेगा इस प्रकार प्रदायित धी की मात्रा पर सुपर स्टॉकिस्ट को कोई कमीषन देय नहीं होगा।
12. दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों तथा दुग्ध शीत केन्द्रों को प्रदाय किये जाने वाली धी की मात्रा पर भी सुपर स्टॉकिस्ट को कोई कमीषन देय नहीं होगा।
13. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ से क्रय करने वाली धी की मात्रा की राषि RTGS के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी।
14. सुपर स्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण जिला में निर्देशानुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।
15. सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं उनको प्राप्त करना होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राषि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावगी, उसकी 10% राषि दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट की जमा अमानत राषि को जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेंसी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
16. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टॉकिस्ट को कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण जिले हेतु रखना होगा एवं आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।
17. सुपर स्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।
18. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
19. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुषंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
20. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
21. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता /सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो आवेदन स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान अनुबंध से संबंधित लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर

- बकाया धनराषि दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे अन्यथा अनुबंध स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राषि राजसात हो जावेगी तथा भविष्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा।
22. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिष्टोदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् निविदाकार को शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  23. आवेदक को आवेदन के साथ इस आषय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो।
  24. सुपर स्टॉकिस्ट का चयन आवेदन फॉर्म में संलग्न विभिन्न पैरामीटर के लिए अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिस आवेदक के अधिकतम अंक होंगे उसे सुपर स्टॉकिस्ट हेतु चयनित किया जाएगा अथवा न्यूनतम 70 अंक प्राप्त होने पर मूल्यांकन के आधार पर एक आवेदन प्राप्त होने पर भी सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। यदि दो या दो से अधिक आवेदकों एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

मेरे द्वारा साँची धी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन की समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं आवेदन की शर्तों एवं अनुबंध में वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राषि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।



हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु अंक तालिका  
( ग्वालियर जिला हेतु )

1. ग्वालियर जिले के लिए सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अंक तालिका निर्धारित की गई है:-

क्र.	विवरण	अंक पद्धति	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	ग्वालियर जिले में घी/ FMCG वितरण एवं विक्रय का अनुभव	प्रत्येक वर्ष के 5 अंक निर्धारित	15	
2	टर्न ओवर	विगत 03 वर्षों के कुल टर्न ओवर रूपये 10 करोड़ पर 20 अंक उसके ऊपर प्रत्येक 2 करोड़ पर 5 अंक दिये जाएंगे। अधिकतम 6 करोड़ तक।	35	
3	वितरण हेतु उपलब्ध वाहनों की संख्या	प्रति वाहन 5 अंक	15	
4	तकनीकी अहता के दस्तावेज	फर्म का पंजीयन—5 अंक पेन कार्ड — 5 अंक जीएसटी — 5 अंक बैंक का विवरण — 5 अंक FSSAI — 5 अंक ITR — 5 अंक दुकान एवं स्थापना पंजीयन — 5 अंक	5 5 5 5 5 5 5	
कुल अंक				100

नोट :— यदि दो या दो से अधिक आवेदकों एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

गवालियर जिला में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु  
आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट  
साईज फोटो  
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम — .....
2. पिता / पति का नाम — .....
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित)  
दूरभाष नं. / मोबाइल नं. — .....
4. शैक्षणिक योग्यता — .....
5. आवेदक / फर्म का नाम / यदि  
फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप  
फर्म की पूर्ण जानकारी  
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। — .....
6. वर्तमान व्यवसाय — .....
7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर  
(टर्न ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करें) — .....
8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.)  
(अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा — .....
- (ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में  
जमा राशि  
(गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें) — .....
9. सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवश्यक  
पूँजी की व्यवस्था — .....

10. जी.एस.टी. नम्बर — .....
11. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का अथवा  
अनुबंधित वाहन होना आवश्यक)  
वाहन के पंजीयन/अनुबंध की  
छायाप्रति संलग्न करें। — .....
12. भण्डारण हेतु  
वर्तमान क्षमता/व्यवस्था — .....
13. धरोहर/ई.एम.डी. राषि  
डी.डी./एम.आर.नं — रु.....  
— .....

दिनांक

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता

.....  
.....  
.....  
.....

प्रपत्र क्रमांक – 05  
(अनुबंध की शर्तों का प्रारूप)

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं ..... (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु निष्पादित किया जाता है :—

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल सॉची घी वितरण/विक्रय हेतु सम्पूर्ण..... जिला के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से तीन वर्ष की अवधि हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किया जाता है। जिसे लक्ष्य पूर्ति वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से आगामी एक-एक वर्ष के लिए दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में कुल प्रतिभूति राषि रु..... जिसमें नगद रूपये..... एवं रुपये ..... की बैंक ग्यारंटी जमा की गई हैं, नगद जमा की गई प्रतिभूति राषि पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पञ्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राषि में वृद्धि हेतु निर्देषित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राषि जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले घी की अग्रिम राषि का भुगतान दुग्ध संघ को एक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जाएगी। शासकीय अवकाश की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिन पूर्व के कार्य दिवस को समस्त धनराषि अग्रिम दुग्ध संघ में प्राप्त हो जाएगी। अतः ऐसे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें, जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो।
4. मांग एवं संघ में उपलब्धता अनुसार सॉची घी का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उसी ईकाई/केस/कार्टन (सॉची घी 01 लीटर, 1/2 लीटर, 1/5 लीटर एवं 05 लीटर व 15 कि.ग्रा. जार के पैक में) प्रदाय करेंगे एवं राषि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुल्ला सॉची घी का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के मध्य दिन में एक बार घी प्रदाय किया जावेगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करें कि द्वितीय पक्ष सॉची घी की विक्रय का वितरण समान रूप से वितरक/विक्रेताओं की मांग अनुसार दो दिवस में प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से घी की आपूर्ति करेंगे, एवं इस बात की

तस्दीक करेंगे कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जानबूझकर लापरवाही की जा रही है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को घी के विक्रय वृद्धि हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जावेंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश में उल्लेखित किये गये हैं।
7. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राषि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावेग, उसकी 10 प्रतिष्ठत राषि संघ सुपर स्टॉकिस्ट की जमा अमानत राषि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेंसी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी दबाव अथवा अन्य कारण मान्य नहीं रहेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा सॉची घी की वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट-छांट या पैकिंग मात्रा में संषोधन नहीं किया जावेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई सॉची घी मात्रा का लेखा-जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष/संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
11. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट घी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज़ इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात किसी भी प्रकार षिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।
12. यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रिय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले सॉची घी पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ती

सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राष्ट्र से की जावेगी।

14. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित घी के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उन्हें सील बंद ईकाई (घी) देवेंगे, किसी भी स्थिति में खुला घी नहीं देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
15. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा घी का वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। द्वितीय पक्ष अन्य दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सॉची घी प्रदाय नहीं कर सकेगा।
16. यह कि द्वितीय पक्ष “सॉची घी” के वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टॉकिस्ट वितरक नियुक्त है, अतः छोटे-छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससे सॉची ब्राण्ड घी के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।
17. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा-खर्चा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
18. यह कि उक्त अनुबंध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील रहेगा।
19. उभयपक्षों (प्रथम एवं द्वितीय पक्ष) की आपसी सहमति से अनुबंध पत्र की शर्तों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र की समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा जारी पत्र एवं परिपत्र भी इस अनुबंध पत्र का हिस्सा माने जाएंगे।
20. अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में विवाद को निर्णयार्थ आर्बिट्रेटर को सौंपा जा सकेगा। आर्बिट्रेटर उभयपक्षों की सहमति से अथवा Arbitration Act अनुसार निर्धारित किया जावेगा व आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो कि अन्तिम होगा।
21. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय ग्वालियर होगा।

22. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा कार्यक्षेत्र में स्थित वितरकों आदि को प्रदायित धी की राषि स्वयं वसूलना होगी, इसके लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।
23. कार्यक्षेत्र में स्थित डिपार्टमेन्टल स्टोर या माल आदि में धी की प्रदायगी सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा की जाएगी। परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि इन स्टोर/माल में सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही या स्टोर सीधे दुग्ध संघ से सीधे क्रय करना चाहते हैं तो दुग्ध संघ किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा।
24. द्वितीय पक्ष को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी जिस हेतु रूपये 100/- का अंष खरीदना होगा परन्तु उसे मत (वोट) इत्यादि देने की पात्रता नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होंष-हवास में ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ  
मर्या. गोला का मन्दिर,  
ग्वालियर – 474005

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)  
सुपर स्टॉकिस्ट (धी)

नाम.....

पता .....

.....

हस्ताक्षर गवाह – 1  
नाम : .....  
पता:.....

हस्ताक्षर गवाह – 1  
नाम : .....  
पता: .....

हस्ताक्षर गवाह –2  
नाम : .....  
पता:.....

हस्ताक्षर गवाह –2  
नाम : .....  
पता: .....

प्रपत्र क्रमांक – 06  
 ( दर संरचना प्रारूप)

**ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मन्दिर, ग्वालियर (म.प्र.)**

ग्वालियर दुग्ध संघ के समस्त कार्यक्षेत्र के सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/विक्रेता/उपभोक्ता हेतु साँची घी की वर्तमान दर संरचना :—

S.N.	Product Name	Pack Size	SUPER STOCKIST	Distributor	Retailer	M.R.P.(Rs.)
1	साँची घी	1 LTR	426.00	432.50	445.50	480.00
2	साँची घी	500 M.L.	217.45	220.55	226.90	245.00
3	साँची घी	200 M.L.	86.75	88.30	91.50	100.00
4	साँची घी	5 Ltr Jar	2177.50	2204.00	2240.00	2375.00
5	साँची घी	15 KG TIN	7042.00	7104.00	7200.00	7500.00
6	साँची गाय घी	1 LTR	445.00	460.03	490.08	550.00

समय—समय पर उक्त दरें परिवर्तनशील रहेगी।

**दुर्घ संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का  
शपथ पत्र का प्रारूप  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर)**

नाम — .....  
पिता — .....  
आयु — .....  
निवासी — .....

01— ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा ग्वालियर जिला में घी सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा ग्वालियर जिला में घी सुपर स्टॉकिस्ट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं ग्वालियर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिष्टेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

**वाहन उपलब्ध कराने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।**  
**(रु. 100 के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर)**

नाम —  
पिता —  
आयु —  
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ग्वालियर जिला हेतु घी सुपर स्टॉकिस्ट आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा मेरा ओवदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

**सत्यापन**

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी  
शपथ पत्र का प्रारूप।  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर)

नाम —  
पिता —  
आयु —  
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ग्वालियर जिला हेतु धी सुपर स्टॉकिस्ट आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता / करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....